विधान परिषद के तृतीय सत्र, 2023 के प्रथम गुरूवार के लिए निर्धारित श्री स्वामी प्रसाद मौर्य, मा0 सदस्य, विधान परिषद द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या-07 का उत्तर।

	प्रश्न	उत्तर
7 (क)	क्या पशुधन मंत्री बतायेंगे कि प्रयागराज, लखनऊ तथा गोरखपुर मण्डल में 01 जनवरी, 2023 से 30 सितम्बर, 2023 तक आवारा पशुओं द्वारा कितनी दुर्घटनायें हुई है ?	जी हां। निराश्रित गोवंश द्वारा प्रदेश के गोरखपुर मण्डल में शून्य, प्रयागराज मण्डल में शून्य तथा लखनऊ मण्डल में 17 दुर्घटनायें होने की सूचना है।
(ख)	उक्त दुर्घटनाओं में कितने लोग घायल हुये तथा कितने लोंगो की मौतें हुई है?	उक्त दुर्घटनाओं में लखनऊ मण्डल अंतर्गत जनपद हरदोई में 04, सीतापुर में 05 तथा लखीमपुर खीरी में 08 लोगों की मृत्यु हुई है। घायलों के संबंध में अलग से कोई सूचना प्राप्त नहीं है।
(ग)	यदि हाँ, तो उक्त दुर्घटनाओं में घायल तथा मृत लोगों के आश्रितों को दुर्घटना सहायता की कितनी-कितनी धनराशि उपलब्ध करायी गयी है ?	उक्त दुर्घटनाओं में मृत व्यक्तियों के आश्रितों को धनराशि रू0 4.00 लाख प्रति व्यक्ति की दर से जनपद हरदोई में 04 मृत व्यक्तियों के आश्रितों को रू0 16.00 लाख, जनपद सीतापुर में 04 मृत व्यक्तियों के आश्रितों को रू0 16.00 लाख, जनपद लखीमपुर खीरी में 08 मृत व्यक्तियों के आश्रितों को कुल रू0 32.00 लाख की सहायता राशि प्रदान की गई है। जनपद सीतापुर के 01 के परिजनों द्वारा पोस्टमार्टम न कराये जाने के कारण सहायता राशि नहीं प्रदान की जा सकी ।
(घ)	आवारा पशुओं के द्वारा हो रही दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किये जा रहे है?	निराश्रित गोवंश संरक्षण एवं भरण-पोषण हेतु उ0प्र0 के समस्त ग्रामीण एवं शहरी स्थानीय निकायों (यथा ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगमों) में अस्थायी गोवंश आश्रय स्थल की स्थापना व संचालन नीति का प्रख्यापन शासनादेश संख्या-4324/सैंतीस-2-2018-5 (53)/2018, दिनांक 02.01.2019 द्वारा किया गया है। इस योजना के क्रियान्वयन में जनसहभागिता सुनिश्चित किये जाने के उद्देश्य से शासनादेश संख्या-3256/सैंतीस-2-2019-30 (4)/2019, दिनांक 08.08.2019 द्वारा 'मा0 मुख्यमंत्री निराश्रित/बेसहारा गोवंश सहभागिता योजना' का प्रख्यापन किया गया है। महिलाओं, बच्चों एवं अन्य आयु वर्ग में कुपोषण की दर को कम किये जाने के उद्देश्य से शासनादेश संख्या-

4938/सैंतीस-2-2020-30(4)/19, दिनांक 12.09.2020 द्वारा 'मा0 मुख्यमंत्री निराश्रित/ बेसहारा गोवंश सहभागिता योजना' के अन्तर्गत कुपोषित बच्चों के पात्र एवं इच्छुक परिवारों को जिले में स्थापित एवं संचालित विभिन्न गो आश्रय स्थलों से गाय उपलब्ध कराये जाने के निर्देश निर्गत किये गये हैं।

शासनादेश संख्या-1347/33-3-2022, दिनांक 03.08.2022 द्वारा गो आश्रय स्थलों में संरक्षित निराश्रित गोवंश के भरण-पोषण हेतु विद्यमान गैप की प्रतिपूर्ति राज्य वित्त आयोग की धनराशि से पूलिंग कराकर किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

शासनादेश संख्या-80 सी0एम0/सैंतीस-2-2023-5(53)/18 टी0सी0-6 दिनांक 18.04.2023 द्वारा निराश्रित गोवंश संरक्षण एवं भरण पोषण की गाइडलाइन में संशोधन करते हुए गो आश्रय स्थलों तथा मा0 मुख्यमंत्री सहभागिता योजना के लाभार्थियों के भरण पोषण की धनराशि का भुगतान डी0बी0टी0 द्वारा किये जाने के निर्देश निर्गत किये गये हैं।

उपर्युक्त प्रयासों के परिणाम स्वरूप सम्प्रति प्रदेश में कुल 6117 अस्थायी गो आश्रय स्थल, 250 कान्हा गोशाला, 314 कांजी हाउस एवं 294 वृहद गो संरक्षण केन्द्र क्रियाशील हैं, जिनमें कुल 1227909 गोवंश संरक्षित किये गये हैं। उक्त के अतिरिक्त मा0 मुख्यमंत्री सहभागिता योजना के अन्तर्गत 192807 गोवंश सुपुदर्गी में दिये गये हैं।

निराश्रित गोवंश को संरक्षित किये जाने हेतु शासनादेश संख्या-2562/सैंतीस-2-2023-5(53)/2018टी0सी0-5, दिनांक 31.10.2023 द्वारा दिनांक 01.11.2023 से दिनांक 31.12.2023 तक 60 दिवस का प्रदेश व्यापी विशेष अभियान चलाये जाने का निर्णय लिया गया है।

(ड़) उक्त का सम्पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखेंगे ? उपरोक्तानुसार।

(धर्मपाल सिंह)
मंत्री
पशुधन विभाग।